बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ०प्र०–4–05/2017 1121 /पटना, दिनांक :– 12-6-2020

श्री ओम प्रकाश मांझी, सेवा से बर्खास्त तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा अधिसूचना संख्या–677 दिनांक 28.02.2020 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24 के तहत ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 27.04.2020 समर्पित किया गया है।

2. श्री ओम प्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2943 दिनांक 27.12.2016 द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–145/2016 दिनांक 19.12.2016 धारा 13(2)–सह–पठित 13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0–1988 दर्ज किये जाने की सूचना विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् श्री ओम प्रकाश मांझी को अधिसूचना संख्या–66–सह–पठित ज्ञापांक 67 दिनांक 13.01.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री मांझी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 685 अनु0 दिनांक 06.04.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 459 दिनांक 14.09.2017 के माध्यम से श्री मांझी के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री मांझी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. श्री मांझी के पत्रांक शून्य दिनांक 19.03.2019 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 03.07.2019 द्वारा प्रमाणित आरोपों पर द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं कर अन्य कागजातों की मांग की गयी, जिसे पूर्व में हीं विभाग द्वारा श्री मांझी को उपलब्ध करा दिया गया था। फिर भी श्री मांझी द्वारा याचित कागजात विभागीय पत्र दिनांक 09.07.2019 द्वारा पुनः उपलब्ध कराते हुए उन्हें द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया। इसके बावजूद निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी श्री मांझी द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित नहीं किया गया। अतएव यह माना गया कि प्रमाणित आरोपों के प्रसंग में श्री मांझी को अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है। श्री मांझी से द्वितीय बचाव बयान अप्राप्त रहने के कारण विभाग स्तर पर इनके विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री मांझी के विरूद्ध गठित आरोप गंभीर प्रकृति के है, जो विभागीय कार्यवाही में भी प्रमाणित पाये गये है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री ओम प्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(xi) के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। इसके पश्चात् श्री

12/6/2020

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

मांझी का द्वितीय बचाव बयान विभाग को प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में श्री मांझी के द्वितीय बचाव बयान का कोई औचित्य नहीं रह जाने के कारण उसपर विचार नहीं किया गया।

6. श्री मांझी के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 3357 अनु0 दिनांक 15.11.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 3007 दिनांक 14.02.2020 द्वारा उक्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गयी है।

7. तत्पश्चात् उक्त दण्ड प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् स्वीकृति प्राप्त कर श्री ओम प्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान के विरूद्ध अधिसूचना संख्या–677 दिनांक 28.02.2020 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी है।

8. प्रश्नगत् पुनर्विलोकन अर्जी में श्री माँझी द्वारा यह कहा गया है कि बिना स्पष्टीकरण के विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना नियमानुकूल नहीं है। विदित हो कि श्री माँझी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप जो कि भ्रष्टाचार एवं कदाचार का गंभीर मामला, पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा विभागीय कार्यवाही में उन्हें अपना पक्ष रखने/स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया था, इसलिये बिना स्पष्टीकरण के ही आरोपी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना नियमानुकूल है। श्री माँझी का यह कहना है कि एक पदाधिकारी द्वारा आरोप गठन करना एवं उसी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाना तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण पूछा जाना नियम संगत/नियमानुकूल नहीं है। उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यवाही में श्री कमलेश सिंह, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नामित थे। श्री सिंह विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे तथा वे मुख्य निगरानी पदाधिकारी भी थे उसी हैसियत से आरोप पत्र पर श्री सिंह का विभागीय सचिव का हस्ताक्षर है के साथ–साथ श्री सिंह का भी हस्ताक्षर है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता है, अपितु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–1893 दिनांक 14.06.2011 की कंडिका–2,6, में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में ऐसे सरकारी सेवक की नियुक्ति की जाय जो अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से विषय को समुचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वांछित जानकारी रखते हों। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होता है कि आरोप से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं साक्ष्य प्राप्त कर संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। उसका कार्य अभियोजन को प्रस्तुत करने का होता है।

9. श्री माँझी का यह कहना कि आरोप पत्र में FIR को आरोप व साक्ष्य बनाना गलत है। विदित हो कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो राज्य सरकार की एक विशेषज्ञ जॉच एजेंसी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन को विभाग प्रमाणिक मानती है। इसलिये पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण, ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रतिवेदन को साक्ष्य बनाया जाना नियमानुकूल है।

10. श्री माँझी की पुनर्विलोकन अर्जी में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभागीय कार्यवाही गवाहों को गवाही हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। गवाहों को गवाही हेतु बुलाने की आवश्यकता है अथवा नहीं यह संचालन पदाधिकारी पर निर्भर करता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मांझी के विरूद्ध गठित आरोप के प्रसंग में उनसे प्राप्त बचाव बयान एवं उस विभागीय मंतव्य प्राप्त कर विवेचनात्मक निष्कर्ष अंकित किया गया है जिनमें उल्लेखित है कि श्री मांझी की पत्नी की आय तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जॉच के क्रम में नगद पाया गया 2 लाख रूपया के सम्बन्ध में ठोस एवं तर्क संगत बचाव बयान नहीं दिया गया अतएव आरोप प्रमाणित होता है।

14/6/2020

11. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–27 प्रावधान के तहत श्री मांझी के प्रश्नगत अर्जी पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि श्री मांझी को प्रश्नगत दंड नियमावली में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर अर्थात श्री मांझी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर, उनका अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान कर एवं मामले का समीक्षोपरांत दंड के निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन तथा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गई है। इस प्रकार श्री मांझी को दंड अधिरोपित करने के क्रम में भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है। निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य समर्थित है। श्री मांझी के विरूद्ध भ्रष्टाचार का आरोप है जो प्रमाणित होता है। ऐसी आरोप के लिये अधिरोपित एवं संसूचित उचित है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री मांझी का प्रश्नगत् पुनर्विलोकन अर्जी ग्राह्य योग्य नहीं पाया गया।

12. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 24(2) के तहत श्री ओमप्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 27.04.2020 को सरकार के निर्णयानुसार अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/6/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–4–05/2017 1122 /पटना, दिनांक :– 12·6·2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी० डी० के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–4–05/2017 1122 /पटना, दिनांक :– 12·6·2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन/निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–4–05/2017 1122 /पटना, दिनांक :– 12·6·2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3007 दिनांक 14.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–4–05/2017 1122 /पटना, दिनांक :– 12.6.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीवान/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, सीवान/ प्रशाखा पदाधिकारी–6 एवं 12, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री ओम प्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान सम्प्रति बर्खास्त पता :– 208 M.I.G. हनुमान नगर कंकड़बाग, पटना, पिनकोड–800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/6/2020.

अपर सचिव